NEXT IAS

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनाँक: 11-06-2025

विषय सूची

» UNFPA विश्व जनसंख्या स्थिति 2025
» भारत का IBC ढाँचा: समाधान और पुनर्प्राप्ति के बीच संतुलन
» भारत में गिग कार्यबल का तीव्रता से विस्तार
» ब्लू NDC चैलेंज
» महासागर अम्लीकरण
» अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक्सिओम-4 मिशन(ISS)

संक्षिप्त समाचार

» संत कबीर दास
» होदेइदाह बंदरगाह
» नार्को टेस्ट पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय
» राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष लिमिटेड (NIIF)
» एजियाओ (Ejiao)
» कार्ल्सरुहे ट्रिटियम न्यूट्रिनो प्रयोग(KATRIN)
» वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद् (FSDC)
» एटालिन जलविद्त परियोजना

UNFPA विश्व जनसंख्या स्थिति 2025

संदर्भ

- संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट "स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन 2025: द रियल फर्टिलिटी क्राइसिस" के अनुसार, अप्रैल 2025 तक भारत की जनसंख्या अनुमानित 146.39 करोड़ तक पहुँच गई है।

2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत की स्थिति

- **वर्तमान जनसंख्या स्थिति:** भारत 146.39 करोड़ लोगों के साथ विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन गया है, चीन (141.61 करोड़) को पीछे छोड़ते हुए।
  - जनसंख्या के 170 करोड़ तक पहुँचने और लगभग 40 वर्षों में गिरावट प्रारंभ होने की संभावना है।
- **प्रजनन दर में गिरावट:** कुल प्रजनन दर (TFR) अब 1.9 है, जो प्रतिस्थापन स्तर 2.1 से नीचे है।
  - वे राज्य जहाँ प्रजनन दर राष्ट्रीय औसत से अधिक है: बिहार (2.98), मेघालय (2.9), उत्तर प्रदेश (2.35), झारखंड (2.26), मणिपुर (2.2)।

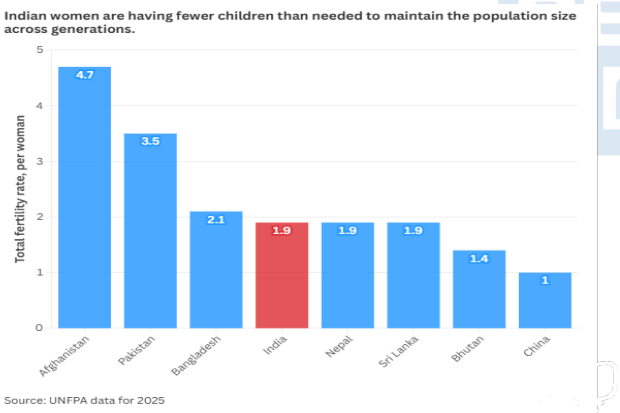

- **जनसांख्यिकीय संरचना:**
  - **कार्यशील आयु वर्ग (15–64 वर्ष):** 68%
  - **बच्चे (0–14 वर्ष):** 24%
  - **युवा (10–24 वर्ष):** 26%
  - **वृद्ध (65+ वर्ष):** 7% (भविष्य में बढ़ने की उम्मीद)

वास्तविक प्रजनन संकट क्या है? .

- वास्तविक प्रजनन संकट अधिक जनसंख्या या कम जनसंख्या में नहीं, बल्कि व्यक्तियों के अपने प्रजनन लक्ष्यों को प्राप्त करने में असमर्थता में निहित है।
  - यह प्रजनन स्वतंत्रता की माँग करता है—यौन संबंध, गर्भनिरोधक और परिवार नियोजन के बारे में सूचित निर्णय लेने की स्वतंत्रता।

कुल प्रजनन दर (TFR)

- एक महिला द्वारा उसके संतानोत्पत्ति वर्षों के दौरान जन्म लेने वाले बच्चों की औसत संख्या।
  - TFR का 2.1 होना जनसंख्या को स्थिर बनाए रखने के लिए आवश्यक माना जाता है।

जनसंख्या में गिरावट के कारण

- **प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच:** गर्भनिरोधक उपयोग और मातृ स्वास्थ्य सेवाएँ विस्तारित हुई हैं।
- **महिला शिक्षा और सशक्तीकरण:** महिला साक्षरता और कार्यबल भागीदारी में वृद्धि से प्रसव में देरी हुई है।
- **शहरीकरण:** शहरी जीवनशैली परिवार के आकार को लागत और स्थान की बाधाओं के कारण सीमित करती है।
- **आर्थिक अनिश्चितता:** बढ़ती जीवन लागत और नौकरी की अस्थिरता बड़ी परिवारों को हतोत्साहित करती है।

जनसंख्या में गिरावट का महत्त्व

- **जनसंख्या स्थिरीकरण:** 2.0 TFR इंगित करता है कि भारत जनसंख्या स्थिरीकरण की ओर बढ़ रहा है, जिससे प्राकृतिक संसाधनों, सार्वजनिक सेवाओं और पर्यावरण पर दबाव कम हो सकता है।
- **सुधरी हुई मातृ स्वास्थ्य:** प्रति महिला कम प्रसव, देर से विवाह की प्रवृत्ति से मातृ मृत्यु दर में कमी, बेहतर बाल देखभाल और स्वस्थ परिवार सुनिश्चित होते हैं।
- **महिला सशक्तीकरण:** निम्न प्रजनन दर उच्च शिक्षा स्तर, कार्यबल भागीदारी और महिलाओं की अधिक स्वतंत्रता को दर्शाती है, जिससे बेहतर सामाजिक और आर्थिक परिणाम मिलते हैं।

चिंताएँ क्या हैं?

- **बढ़ती वृद्ध जनसंख्या:** वृद्ध जनसंख्या में वृद्धि कार्यशील जनसंख्या पर निर्भरता बढ़ाएगी, जिससे पेंशन,

स्वास्थ्य देखभाल और सामाजिक कल्याण योजनाओं पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होगी।

- **संभावित असंतुलित लिंग अनुपात:** कुछ क्षेत्रों में प्रजनन दर में गिरावट लैंगिक पक्षपात को बढ़ा सकती है, जिससे असंतुलित लिंग अनुपात उत्पन्न हो सकता है।
- **जनसांख्यिकीय असंतुलन:** राज्यों में प्रजनन दर में व्यापक अंतर, अंतरराज्यीय प्रवास, सांस्कृतिक बदलाव और निम्न TFR वाले राज्यों में संसाधनों पर दबाव डाल सकता है।

वैश्विक परिदृश्य

- **जापान:** यहाँ की औसत आयु 48 वर्ष से अधिक है, जिससे लंबी आर्थिक मंदी, कम होता कार्यबल और पेंशन व स्वास्थ्य देखभाल पर बढ़ते सार्वजनिक व्यय का सामना करना पड़ रहा है।
- **चीन:** 1979 से 2015 तक लागू एक-बाल नीति ने जन्म दर को काफी कम कर दिया, जिससे तेजी से वृद्ध होती जनसंख्या की स्थिति बनी।
- **दक्षिण कोरिया:** यहाँ विश्व में सबसे कम प्रजनन दर है, जो 2022 में 0.78 थी।

निष्कर्ष

- भारत एक जनसांख्यिकीय मोड़ पर खड़ा है। प्रजनन दर में गिरावट शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और लैंगिक सशक्तीकरण में सामाजिक प्रगति का प्रमाण है।
- हालाँकि, जैसे-जैसे ध्यान जनसंख्या नियंत्रण से प्रजनन अधिकारों और जनसांख्यिकीय संतुलन की ओर स्थानांतरित होता है, भारत को आर्थिक उत्पादकता, सामाजिक समर्थन प्रणालियों और व्यक्तिगत प्रजनन विकल्पों के बीच संतुलन बनाने के लिए तैयार होना चाहिए।

Source: TH

भारत का IBC ढाँचा: समाधान और पुनर्प्राप्ति के बीच संतुलन

संदर्भ

- भारत के दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (IBC), 2016 को लागू हुए आठ वर्षों से अधिक समय हो चुका है, और इसने देश के ऋण परिदृश्य को महत्त्वपूर्ण रूप से बदल दिया है।

दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (IBC) 2016

- IBC को 2016 में भारत में बढ़ती गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPA) और अप्रभावी ऋण वसूली तंत्र को दूर करने के लिए पेश किया गया था।
- इसका उद्देश्य कॉर्पोरेट संकट समाधान प्रणाली को पुनर्गठित करना है, जहाँ ऋणकर्ता-नियंत्रित व्यवस्थाओं को हटाकर **ऋणदाता-नियंत्रित तंत्र** के माध्यम से **समयबद्ध समाधान** प्रदान किए जाते हैं।
- **IBC संकल्प के उद्देश्य**
  - **व्यवसाय पुनर्जीवन**: पुनर्गठन, स्वामित्व परिवर्तन, या विलय के माध्यम से व्यवसायों को बचाना।
  - **परिसंपत्ति मूल्य का अधिकतमकरण**: ऋणग्रस्त संस्थाओं की परिसंपत्तियों को संरक्षित और अधिकतम करना।
  - **उद्यमिता और ऋण को बढ़ावा देना**: उद्यमिता को प्रोत्साहित करना, ऋण उपलब्धता में सुधार करना, और हितधारकों (ऋणदाता एवं ऋणी) के हितों को संतुलित करना।
- वर्तमान में, किसी कंपनी को दिवाला समाधान प्रक्रिया में प्रवेश करने के बाद **अधिकतम 330 दिनों** में समाधान निकालना आवश्यक है।
  - अन्यथा, कंपनी को **विलुप्ति (Liquidation)** प्रक्रिया में डाल दिया जाता है।

दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (IBC) के अंतर्गत संकल्प प्रक्रिया

- **प्रक्रिया की शुरुआत**: कोई भी **ऋणदाता या ऋणी** राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (NCLT) में आवेदन देकर **कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (CIRP)** प्रारंभ कर सकता है।

- **अंतरिम समाधान पेशेवर (IRP) की नियुक्ति**: NCLT, कंपनी के मामलों को संभालने के लिए IRP नियुक्त करता है।
- **स्थगन (Moratorium) की घोषणा**: सभी वसूली कार्यवाही, नीलामी आदि पर **कानूनी रोक** लगाई जाती है और सार्वजनिक घोषणा के माध्यम से ऋणदाताओं से दावे आमंत्रित किए जाते हैं।
- **आर्थिक ऋणदाताओं की पहचान और ऋणदाताओं की समिति (CoC) का गठन**: इसमें मुख्यतः **वित्तीय ऋणदाता** शामिल होते हैं।
  - **CoC द्वारा समाधान पेशेवर (RP) की नियुक्ति**: CoC, RP की पुष्टि कर सकता है या नया RP नियुक्त कर सकता है।
- **संकल्प योजना आमंत्रण**: RP, इच्छुक संकल्प आवेदकों से संकल्प योजनाएँ आमंत्रित करता है।
- **CoC द्वारा मूल्यांकन** और संभावित संशोधन: संकल्प योजना में निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं—
  - ऋण पुनर्गठन
  - प्रबंधन परिवर्तन
  - विलय या अधिग्रहण
  - ब्याज दरों में कमी, ऋण अवधि का विस्तार आदि
- **CoC की मंजूरी**: संकल्प योजना को **कम से कम 66% वोटिंग शेयर** द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए।
  - CoC द्वारा मंजूरी मिलने के बाद, समाधान योजना को अंतिम मंजूरी के लिए NCLT के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। NCLT द्वारा मंजूरी मिलने के बाद, योजना सभी हितधारकों के लिए बाध्यकारी होती है।
- **विलुप्ति (Liquidation)**: यदि **330 दिनों** के अन्दर कोई योजना स्वीकृत नहीं होती है या CoC **विलुप्ति का निर्णय** करता है, तो कंपनी का परिसमापन प्रारंभ हो जाता है।

IBC PROCESS FLOW CHART

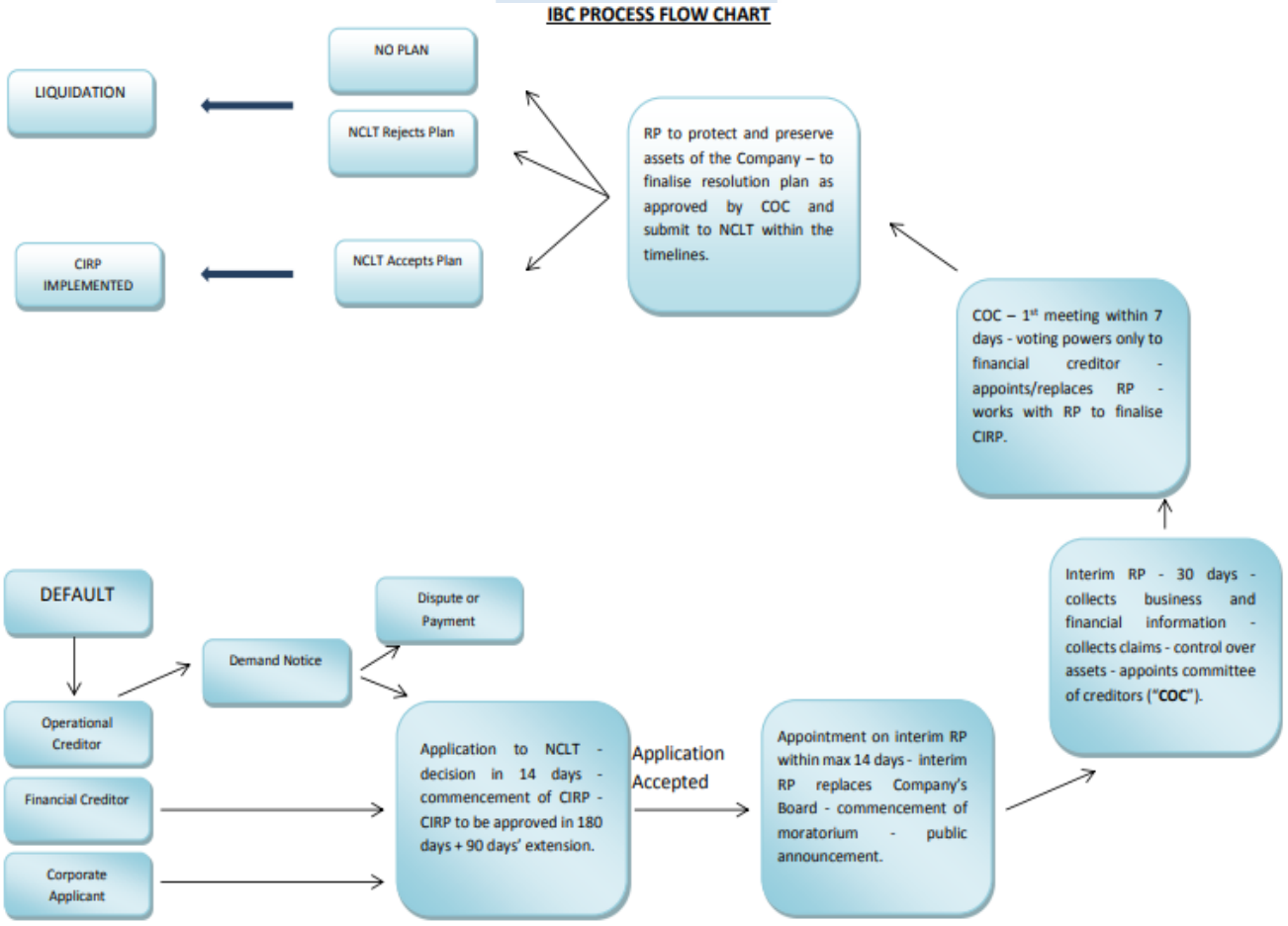

IBC के प्रभाव

- **व्यवसाय करने में आसानी में सुधार**: IBC के लागू होने से **विश्व बैंक रिपोर्ट 2020** के अनुसार **'दिवालियापन का समाधान' रैंकिंग में सुधार हुआ**—2016 में **136वें स्थान** से 2020 में **52वें स्थान** पर पहुँच गया।
- **बैंकों की वसूली दर में सुधार**: **भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की रिपोर्ट—भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति 2024** के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2023–24 में IBC के माध्यम से **बैंकों द्वारा कुल वसूली का 48% किया गया।**

चुनौतियाँ

- **NCLT में विलंब**: **31 मार्च 2025 तक**, चल रहे CIRP मामलों में से **78% से अधिक मामलों ने 270-दिन की समय-सीमा पार कर ली थी**, जो कि **330 दिनों की वैधानिक सीमा** से अधिक है।
- **न्यायिक हस्तक्षेप**: **भूषण पावर एंड स्टील मामले** जैसे मामलों में **संकल्प की स्वीकृति के बाद न्यायिक हस्तक्षेप** से संकल्प आवेदकों का आत्मविश्वास कम हो सकता है।
- **ऋणदाताओं के लिए उच्च कटौती (Haircuts)**: औसतन, ऋणदाता **केवल 33% दावों की वसूली** कर पाते हैं और **67% तक की कटौती** सहन करते हैं।
- **आधुनिक कंपनियों से जुड़े मुद्दों के लिए स्पष्ट दिशानिर्देशों की कमी**: IBC में **बौद्धिक संपदा मूल्यांकन, कर्मचारियों के दावे**, और **तकनीकी निरंतरता** से संबंधित स्पष्ट प्रावधानों की कमी है।
- **संसाधन की सीमाएँ**: NCLT और NCLAT में अब भी **कर्मचारियों की कमी और सीमित बुनियादी ढाँचा** बना हुआ है।

Source: TH

भारत में गिग कार्यबल का तीव्रता से विस्तार

संदर्भ

- हाल ही में **वीवी गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान (VVGNLI)** ने अनुमान लगाया कि भारत में गिग कार्यबल देश के **कुल गैर-कृषि कार्यबल का 15%** हिस्सा बनाएगा।
  - यह अनुमान **नीति आयोग की 2022 की गिग कार्यबल रिपोर्ट** पर आधारित है।

अध्ययन के प्रमुख निष्कर्ष और अनुमान

- **वर्ष 2020** में **11 प्रमुख कंपनियों** में लगभग **30 लाख** कर्मचारी प्लेटफॉर्म रोजगारों में लगे हुए थे।
- **वर्ष 2030** तक यह संख्या **2.3 करोड़** तक पहुँचने की संभावना है, जो गैर-कृषि कार्यबल का **7%** होगा।

> **India's Gig Economy**
> It is characterized by freelance, temporary, or on-demand jobs mediated by digital platforms.

- **वर्ष 2047** तक यह संख्या **6.2 करोड़** तक बढ़ने का अनुमान है।
- **आकांक्षात्मक वृद्धि परिदृश्यों** के तहत यह **9.08 करोड़ रोजगार** सृजित कर सकता है, लेकिन **आर्थिक और नियामकीय अनिश्चितताओं** के कारण यह वृद्धि सीमित होकर **3.25 करोड़** तक रह सकती है।

क्षेत्रीय विस्तार

- पहले गिग रोजगार **राइड-शेयरिंग और फूड डिलीवरी** तक सीमित थीं।
- अब यह **स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, रचनात्मक सेवाओं और पेशेवर परामर्श** सहित विभिन्न क्षेत्रों में फैल रही हैं।
- ऐप-आधारित सेवाओं और कार्य प्राथमिकताओं में बदलाव के चलते यह विविधीकरण तेजी से बढ़ रहा है।

चुनौतियाँ और नियामकीय कमियाँ

- **सामाजिक सुरक्षा का अभाव**: गिग कर्मचारी **स्वास्थ्य लाभ, बीमा या सेवानिवृत्ति प्रावधानों** के बिना कार्य करते हैं।

- **लंबे कार्य घंटे और तनाव: अनियमित कार्य समय, अस्थिर कार्यक्रम**, और **अधिक कार्यभार** के कारण तनाव और **स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ** उत्पन्न होती हैं।
- **शिकायत निवारण तंत्र की अनुपस्थिति: अन्यायपूर्ण प्रथाओं के विरुद्ध आवाज उठाने वाले कर्मचारियों** को अक्सर प्रतिशोध का सामना करना पड़ता है, जैसे कि **आईडी ब्लॉकिंग**।

अध्ययन में उजागर किए गए नियामकीय विचार

- **कर्मचारी अधिकार और यूनियनाइजेशन**:
  - गिग कर्मचारियों को **कानूनी मान्यता** दी जानी चाहिए।
  - उन्हें **यूनियन बनाने और सामूहिक सौदेबाजी** का अधिकार मिलना चाहिए।
  - **कार्य आवंटन एल्गोरिदम** में पारदर्शिता सुनिश्चित करना जरूरी है ताकि **न्यायसंगत वेतन वितरण** और **बेहतर कार्य परिस्थितियाँ** बनाई जा सकें।
- **वर्गीकरण और कानूनी सुरक्षा**:
  - **यूके, कनाडा, स्पेन और फ्रांस** जैसे देशों में **स्वतंत्र ठेकेदारों और कर्मचारियों के बीच कानूनी विभाजन** किया जाता है।
  - इससे **श्रमिक सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा** सुनिश्चित होती है।
  - **भारत को कर्मचारियों की स्पष्ट वर्गीकरण प्रणाली** की आवश्यकता है ताकि उनकी **असुरक्षाओं को दूर किया जा सके।**
- **न्यायसंगत वेतन और एल्गोरिदमिक जवाबदेही**:
  - न्यूनतम आय गारंटी सुनिश्चित करना।
  - कार्य समय को नियमित करना।
  - गिग कार्य आवंटन में **पारदर्शिता** बढ़ाइए।
  - **शिकायत निवारण तंत्र** को सशक्त बनाना।
- **गिग कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय रजिस्ट्री**:
  - **राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म कर्मचारी रजिस्ट्री** की स्थापना की जा सकती है।
  - इसे **केंद्र और राज्य सरकार** द्वारा प्रबंधित किया जाएगा।
  - इससे **सामाजिक सुरक्षा के लाभों को सुव्यवस्थित रूप से लागू किया जा सकता है।**
  - **प्लेटफॉर्म आधारित कार्यों में व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा मानकों को एकीकृत किया जाए।**

अन्य नीतियाँ और पहलें

- **सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020**:
  - गिग और प्लेटफॉर्म कर्मचारियों को **सामाजिक सुरक्षा लाभ** देने के लिए बनाई गई।
  - यह एक **सामाजिक सुरक्षा कोष** के निर्माण का प्रस्ताव देती है।
  - इसमें **एग्रीगेटर्स का योगदान** शामिल होगा, जिससे **स्वास्थ्य बीमा, पेंशन योजना, और दुर्घटना कवरेज** प्रदान किया जाएगा।
- **कौशल विकास और प्रशिक्षण**:
  - **गिग कर्मचारियों के लिए डिजिटल साक्षरता, उद्यमिता और विशेष ट्रेडों में कौशल विकास कार्यक्रम** प्रोत्साहित किए जा रहे हैं।
  - इनसे उनकी **नियोजनीयता में वृद्धि** होगी।

Source: BS

ब्लू NDC चैलेंज

समाचार में

- फ्रांस और ब्राजील ने एक महत्त्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय पहल **ब्लू नेशनल डिटर्माइंड कंट्रीब्यूशंस (NDC) चैलेंज** प्रारंभ किया।

ब्लू नेशनल डिटर्माइंड कंट्रीब्यूशंस (NDC) चैलेंज के बारे में

- यह देशों से **अपने जलवायु योजनाओं में महासागर-केंद्रित उपायों को शामिल करने** का आग्रह करता है, जिन्हें **नेशनल डिटर्माइंड कंट्रीब्यूशंस (NDCs)** के रूप में जाना जाता है।

- इस पहल का उद्देश्य **30वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (COP30)** से पहले महासागर-केंद्रित जलवायु कार्रवाई को बड़े पैमाने पर बढ़ाना है, जो **बेलेम, ब्राजील** में आयोजित होगा।
- इस पहल को **ओशन कंजरवेंसी, ओशन एंड क्लाइमेट प्लेटफॉर्म, वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट (महासागर लचीलापन और जलवायु गठबंधन - ORCA)** और **WWF-ब्राजील** जैसी कई संस्थाओं का समर्थन प्राप्त है।

जलवायु कार्रवाई में महासागरों का महत्त्व

- **कार्बन पृथक्करण (Carbon Sequestration)**: महासागर वैश्विक **CO□ उत्सर्जन का 25%** और मानव गतिविधि द्वारा उत्पन्न अतिरिक्त गर्मी का **90%** अवशोषित करते हैं, जिससे वे जलवायु परिवर्तन को कम करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- **ब्लू कार्बन इकोसिस्टम**: तटीय पारिस्थितिक तंत्र जैसे **मैन्ग्रोव, सीग्रास और सॉल्ट मार्श** स्थलीय वनों की तुलना में **पाँच गुना अधिक** कार्बन संग्रहीत करते हैं।
- **जैव विविधता (Biodiversity)**: महासागर कई प्रकार के जीवों का आवास हैं, और **समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण** जलवायु प्रभावों के प्रति इसकी सहनशीलता बनाए रखने के लिए आवश्यक है।
- **आजीविका और खाद्य सुरक्षा**: महासागर विश्व भर में **3 अरब से अधिक लोगों का समर्थन** करते हैं, जो **खाद्य, आजीविका और आर्थिक गतिविधियों** के लिए समुद्री संसाधनों पर निर्भर हैं।

महासागर संरक्षण के लिए पहलें

- **ओशन क्लीनअप प्रोजेक्ट**: **2013 में प्रारंभ**, यह एक गैर-लाभकारी संगठन है जो **समुद्र से प्लास्टिक प्रदूषण हटाने के लिए उन्नत तकनीकों के विकास** पर ध्यान केंद्रित करता है।
- **संयुक्त राष्ट्र महासागर विज्ञान दशक (2021-2030)**: इसका उद्देश्य **महासागर विज्ञान को सतत विकास, पर्यावरण संरक्षण और जलवायु कार्रवाई** के लिए एक प्रमुख उपकरण के रूप में बढ़ावा देना है।
- **हाई सीज़ संधि (राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे जैव विविधता - BBNJ समझौता)**: **2023 में अपनाई गई** यह महत्त्वपूर्ण रूप से **अंतर्राष्ट्रीय जल में समुद्री जैव विविधता की रक्षा करने के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता** है।
- **ब्लू कार्बन पहल**: यह **मैन्ग्रोव, सीग्रास और सॉल्ट मार्श जैसे तटीय और समुद्री पारिस्थितिक तंत्र द्वारा कब्जा किए गए कार्बन** को संदर्भित करता है।
- **राष्ट्रीय समुद्री संरक्षित क्षेत्र (MPAs) नेटवर्क**: यह **प्राकृतिक समुद्री और तटीय आवासों जैसे प्रवाल भित्ति, मैन्ग्रोव और सीग्रास** को संरक्षित करने का प्रयास करता है।
- **समेकित तटीय क्षेत्र प्रबंधन (ICZM)**: यह **तटीय पारिस्थितिकी तंत्र के क्षरण, कटाव, अत्यधिक मछली पकड़ने और प्रदूषण** जैसी चुनौतियों का समाधान करने के लिए बनाया गया है।

चुनौतियाँ और बाधाएँ

- **वित्तीय सीमाएँ**: कई विकासशील देश **महासागर-आधारित जलवायु समाधान लागू करने के लिए आवश्यक वित्त पोषण** प्राप्त करने में संघर्ष कर सकते हैं।
- **तकनीकी और वैज्ञानिक चुनौतियाँ**: महासागर-आधारित समाधान **जटिल हैं और उन्हें प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए परिष्कृत वैज्ञानिक ज्ञान की आवश्यकता होती है।**

Source: DTE

महासागर अम्लीकरण

संदर्भ

- एक हालिया अध्ययन से पता चला है कि **महासागर अम्लीकरण** ने अपनी **ग्रहीय सीमा** को पार कर लिया है, जिससे समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र और वैश्विक जलवायु स्थिरता को गंभीर खतरा उत्पन्न हो सकता है।

महासागर अम्लीकरण क्या है?

- महासागर अम्लीकरण पृथ्वी के महासागरों में **pH स्तर में लगातार गिरावट** को संदर्भित करता है, जो

वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2) के अवशोषण के कारण होता है।

- जब **CO_2 समुद्री जल में घुलता है**, तो यह **कार्बनिक अम्ल (Carbonic Acid)** बनाता है, जिससे **महासागर का pH कम होता है और कैल्शियम कार्बोनेट का स्तर घट जाता है**—जो कई समुद्री जीवों के लिए आवश्यक है।

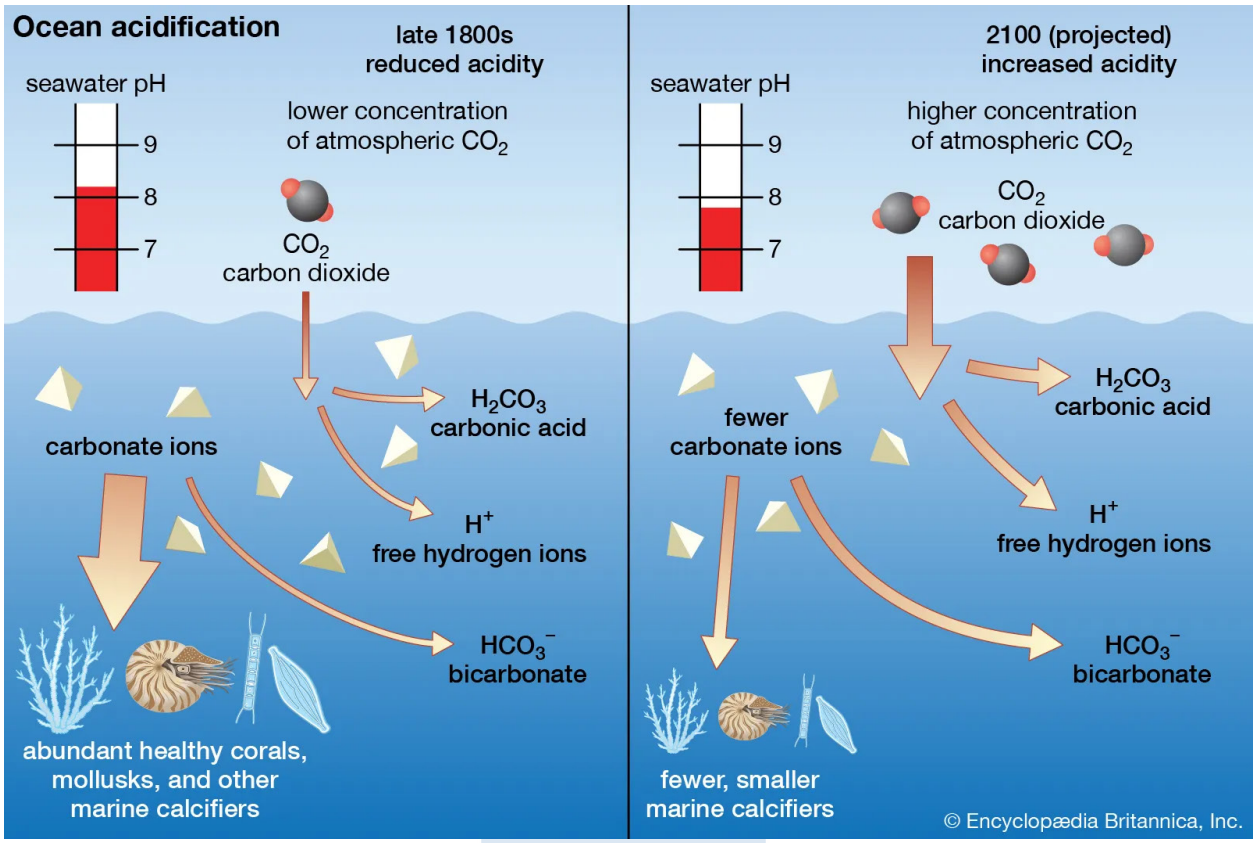

ग्रहीय सीमा का उल्लंघन

- **ग्रहीय सीमाएँ (Planetary Boundaries)** वे **सीमारेखा** हैं, जिनसे परे पृथ्वी की आवश्यक प्रणालियाँ स्थिर वातावरण बनाए रखने में सक्षम नहीं हो सकतीं।
- अध्ययन में पाया गया कि **वर्ष 2020 तक, वैश्विक महासागर की औसत स्थितियाँ** पहले से ही **औद्योगिक-पूर्व कैल्शियम कार्बोनेट संतृप्ति स्तर से 20% नीचे** गिर चुकी थीं, जिससे अम्लीकरण के लिए सुरक्षित सीमा पार हो गई।
- **समुद्र की सतह से 200 मीटर नीचे**, वैश्विक जल का **60% सुरक्षित सीमा से आगे निकल चुका था।**

महासागर अम्लीकरण के प्रभाव

- **संवहनीय प्रजातियाँ प्रभावित**: प्रवाल (Corals), सीप (Oysters), मसल्स (Mussels) और **प्टेरोपॉड्स (Sea Butterflies)** सबसे अधिक संवेदनशील हैं।
- अम्लीकरण से **बाह्य आवरण और कंकाल कमजोर होते हैं, प्रजनन दर घटती है, विकास धीमा पड़ता है,** और **मृत्यु दर बढ़ती है।**
- **मछली पालन और आजीविका**: **मछली प्रजनन स्थलों में गिरावट** खाद्य सुरक्षा और **तटीय समुदायों की आर्थिक स्थिरता** को प्रभावित करती है।
- **पर्यटन क्षेत्र**: **प्रवाल भित्ति (Coral Reef) का ह्रास** पर्यटन और **डाइविंग उद्योग** पर नकारात्मक प्रभाव डालता है।
- **जलवायु प्रतिक्रिया (Climate Feedbacks)**: महासागर पारिस्थितिकी तंत्र, जैसे **प्लवक (Plankton) को हानि**, महासागरों की **कार्बन पृथक्करण क्षमता** को प्रभावित कर सकता है, जिससे **वैश्विक तापमान**

वृद्धि तेज हो सकती है।

- **सामाजिक प्रभाव**: जलवायु-संबंधित **प्रवासन और आजीविका हानि** से **भू-राजनीतिक तनाव** बढ़ सकता है। तटीय क्षेत्रों में **बेरोजगारी बढ़ने से सामाजिक अशांति** उत्पन्न हो सकती है।

महासागर अम्लीकरण से निपटने के लिए पहलें

- **ग्लोबल ओशन अम्लीकरण ऑब्जर्विंग नेटवर्क (GOA-ON)**:
  - **66 देशों के 367 सदस्य** इस अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क का भाग हैं।
  - इसका उद्देश्य **नदी, तटीय और खुली महासागर प्रणालियों में महासागर अम्लीकरण की निगरानी और समझ बढ़ाना** है।
- **संयुक्त राष्ट्र महासागर विज्ञान दशक (2021–2030)**:
  - **2017 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा घोषित**, यह पहल **महासागर स्वास्थ्य में गिरावट को उलटने** का लक्ष्य रखती है।
  - यह **वैज्ञानिक अनुसंधान, तकनीकी नवाचार और नीति-सम्बंधित ज्ञान को बढ़ावा** देता है।
  - **SDG-14 ("जल के नीचे जीवन")** और **व्यापक जलवायु प्रतिरोधकता** प्राप्त करने में देशों की सहायता करता है।
- **यूनेस्को का अंतरसरकारी समुद्र विज्ञान आयोग (IOC)**:
  - **ग्लोबल ओशन ऑब्जर्विंग सिस्टम (GOOS)** के तहत **pH और CO_2 स्तर की निगरानी** को समर्थन देता है।
- **ब्लू कार्बन पहल**:
  - इसमें **शोध, नीति सलाह और वित्त पोषण तंत्र** शामिल हैं।
  - **मैन्ग्रोव, सॉल्ट मार्श और सीग्रास** जैसे **तटीय और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र द्वारा संग्रहीत कार्बन** को बढ़ावा देता है।

आगे की राह

- **नीति और शासन**:
  - महासागर अम्लीकरण को **राष्ट्रीय जलवायु और महासागर नीतियों में मुख्यधारा में लाएं।**
  - **मरीन स्पेशल प्लानिंग** और **समेकित तटीय क्षेत्र प्रबंधन (ICZM)** को प्राथमिकता दें।
- **स्थानीय अनुकूलन और संरक्षण**:
  - **मैन्ग्रोव और सीग्रास जैसे सहनशील पारिस्थितिक तंत्रों का संरक्षण और पुनर्स्थापन** करना।
  - उच्च संवेदनशीलता वाले क्षेत्रों में **समुद्री संरक्षित क्षेत्रों (MPAs) को लागू करना।**

निष्कर्ष

- महासागर अम्लीकरण **केवल एक समुद्री समस्या नहीं** है, बल्कि यह **जैव विविधता, अर्थव्यवस्था, खाद्य प्रणाली और जलवायु प्रतिरोधकता** को प्रभावित करने वाला बहुआयामी संकट है।
- इसकी **निष्क्रिय लेकिन तीव्र गति** वैश्विक और राष्ट्रीय स्तर पर **तत्काल और समन्वित नीति प्रतिक्रियाओं** की मांग करती है।

Source: Guardian

अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक्सिओम-4 मिशन(ISS)

समाचार में

- **Axiom-4 मिशन का प्रक्षेपण फिर से स्थगित** कर दिया गया है, क्योंकि **SpaceX के Falcon 9 रॉकेट में तकनीकी समस्या** उत्पन्न हुई है।

> - **Falcon 9** एक **पुन: उपयोग योग्य दो-चरणीय रॉकेट** है, जिसे **SpaceX** द्वारा **विश्वसनीय और सुरक्षित तरीके से लोगों और पेलोड को पृथ्वी की कक्षा और उससे आगे ले जाने के लिए** डिजाइन और निर्मित किया गया है।

Axiom-4 (Ax-4) मिशन

- यह **14 से 21 दिनों** तक **अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS)** पर रहेगा।
- मिशन के दौरान **31 देशों के साथ मिलकर 60 से अधिक प्रयोग** किए जाएँगे, जो **बायोमेडिकल अनुसंधान, पृथ्वी अवलोकन और सामग्री विज्ञान** जैसे क्षेत्रों को समाविष्ट करेंगे।
- कुछ प्रयोगों में **ISRO की भागीदारी** होगी, जिससे **भारत को वर्ष 2027 में निर्धारित गगनयान मिशन** के लिए महत्त्वपूर्ण अंतर्दृष्टि मिलेगी।
- **Ax-4 क्रू** में **भारत, पोलैंड और हंगरी** के सदस्य शामिल हैं, जो इन देशों की **प्रथम अंतरिक्ष स्टेशन यात्रा** और **40 वर्षों में दूसरा सरकारी मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन** है।
- **शुभांशु शुक्ला भारत के दूसरे राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री** होंगे, जो **1984 के बाद अंतरिक्ष में जाएँगे।**
- यह मिशन **Axiom Space की निम्न-पृथ्वी कक्षा तक अंतर्राष्ट्रीय पहुँच बढ़ाने में भूमिका** को दर्शाता है।

अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS)

- **ISS का डिजाइन 1984 से 1993 के बीच** किया गया था।
- इसके **घटक निर्माण 1980 के दशक के उत्तरार्ध** में **अमेरिका, कनाडा, जापान और यूरोप** में प्रारंभ हुए।
- **ISS कार्यक्रम** विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय उड़ान दलों, **लॉन्च वाहनों, वैश्विक संचालन और प्रशिक्षण केंद्रों, संचार नेटवर्क** और **वैश्विक वैज्ञानिक अनुसंधान समुदाय** को एकजुट करता है।

Axiom की ISS तक यात्रा

- **ISS तक पहुँचने के लिए, प्रक्षेपण एक सावधानीपूर्वक गणना की गई खिड़की** के अन्दर होना चाहिए, ताकि अंतरिक्ष यान की कक्षा **ISS की परिक्रमा से सुमेलित हो सके।**
- **लॉन्च के बाद, Falcon 9 का प्रथम चरण पृथ्वी पर लौटता है,** जबकि **दूसरा चरण अंतरिक्ष में गमन करना जारी रखता है और Dragon कैप्सूल को कक्षा में स्थापित करता है।**
- **ISS पृथ्वी से लगभग 400 किमी ऊपर स्थित** है और **28,000 किमी प्रति घंटे** की गति से चलता है।
- **Dragon को 16 Draco थ्रस्टर्स के माध्यम से कई चरणों में अपनी कक्षा धीरे-धीरे बढ़ानी होती है और पथ समायोजित करना होता है।**
- **रूस के तेज़ Soyuz यान के विपरीत, Dragon को ISS तक पहुँचने में आमतौर पर 28 घंटे लगते हैं,** क्योंकि इसके **नए डिजाइन और इन-फ्लाइट परीक्षणों की आवश्यकता** होती है।
- जैसे ही Dragon स्टेशन के निकट पहुँचता है, यह **अंतिम चरण** करता है, **200-मीटर "कीप-आउट स्फीयर" में प्रवेश करता है** और **GPS, कैमरे और Lidar का उपयोग करके स्वायत्त डॉकिंग** करता है।
  - **डॉकिंग के बाद, 1-2 घंटे में सुरक्षा जाँच** पूरी की जाती है, जिसके बाद **अंतरिक्ष यात्री ISS में प्रवेश** कर सकते हैं।

Source :IE

संक्षिप्त समाचार

संत कबीर दास

समाचार में .

- प्रधानमंत्री ने संत कबीर दास को उनकी जयंती (11 जून) पर श्रद्धांजलि अर्पित की।

संत कबीर दास

प्रारंभिक जीवन

- वह 15वीं शताब्दी के भारतीय कवि और संत थे।
- उनका जन्म काशी (वाराणसी) में हुआ था, हालाँकि उनके जीवन से जुड़ी जानकारियाँ ज्यादातर कथाओं और बिखरे हुए स्रोतों जैसे बीजक, आदि ग्रंथ, और दाबिस्तान-ए-तवारीख पर आधारित हैं।

- कहा जाता है कि वह एक ब्राह्मण विधवा के पुत्र थे और बाद में एक मुस्लिम जुलाहा निमा द्वारा गोद लिए गए।
- उन्होंने गहरे आध्यात्मिक झुकाव विकसित किया और संत रामानंद से दीक्षा प्राप्त की।

शिक्षाएँ और दर्शन

- उनके दर्शन पर उपनिषदों के अद्वैतवाद, इस्लामी एकेश्वरवाद, और भक्ति परंपरा का प्रभाव था।
- उन्होंने जातिगत भेदभाव, मूर्तिपूजा और दिखावटी अनुष्ठानों का तीव्र विरोध किया और इसके स्थान पर भक्ति, आंतरिक सत्य और नैतिक जीवन पर बल दिया।
- उन्होंने हिंदी, भोजपुरी, पंजाबी, उर्दू और फारसी सहित स्थानीय भाषाओं में लिखा, जिससे उनकी कविता सुलभ होने के साथ-साथ गूढ़ प्रतीकों से समृद्ध बन गई।
- उन्होंने गुरु नानक जैसे व्यक्तित्वों और कबीर पंथ जैसी आध्यात्मिक धाराओं को प्रभावित किया।
- वह हिंदू धर्म, सिख धर्म और सूफी परंपरा में पूज्य माने जाते हैं, और उनकी वाणी आज भी आत्मसत्य और प्रबोधन पर बल देती है।

योगदान

- वह अपने सरल और गहन दोहों के लिए प्रसिद्ध हैं, जिन्हें "कबीर के दोहे" कहा जाता है, जो आध्यात्मिक प्रतीकों और दैनिक जीवन की उपमाओं से भरपूर हैं।
- कबीर बीजक को कबीरपंथ (कबीर के अनुयायियों का पंथ) द्वारा वाराणसी और उत्तर प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में संरक्षित किया गया है।
- कबीर ग्रंथावली को राजस्थान के दादूपंथ से जोड़ा जाता है, और उनकी कई रचनाएँ आदि ग्रंथ साहिब

Source :PIB

होदेइदाह बंदरगाह

समाचार में

- **इज़राइल ने प्रथम बार यमन के होदेइदाह बंदरगाह पर नौसैनिक हमला किया**, जिसमें **दो प्रमुख पियर्स** को निशाना बनाया गया।

होदेइदाह बंदरगाह के बारे में

- **अवस्थिति: यमन का होदेइदाह बंदरगाह यमन के पश्चिमी तट** पर **लाल सागर के किनारे तिहामा तटीय मैदान** पर स्थित है।
- **ऐतिहासिक संदर्भ**: यह बंदरगाह ऐतिहासिक रूप से महत्त्वपूर्ण रहा है। **इटालो-ओटोमन युद्ध (1911–1912)** के दौरान इसे **गोलेबारी का सामना करना पड़ा था**। इसकी **लाल सागर के किनारे की स्थिति** ने इसे **क्षेत्रीय शक्ति संघर्षों का केंद्र** बना दिया।
- **महत्त्व: होदेइदाह बंदरगाह यमन का सबसे बड़ा और अत्यधिक महत्त्वपूर्ण समुद्री बंदरगाह** है, जो **मानवता सहायता, ईंधन, और वाणिज्यिक आयात** सहित आवश्यक वस्तुओं के आयात की सुविधा प्रदान करता है।

Source: TOI

नार्को टेस्ट पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय

संदर्भ

- **भारत के सर्वोच्च न्यायालय** ने निर्णय सुनाया कि **नार्को-विश्लेषण परीक्षण** किसी भी आरोपी पर **बिना उसकी स्वतंत्र और सूचित सहमति के नहीं किया जा सकता**।
  - यह निर्णय पुनः पुष्टि करता है कि इस तरह की **प्रथाएँ भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन** करती हैं।

नार्को-विश्लेषण

इसमें **सोडियम पेंटोथल** नामक दवा को आरोपी को **इंजेक्ट किया जाता है**, जिससे वह **हिप्नोटिक या निद्रित अवस्था** में चला जाता है।

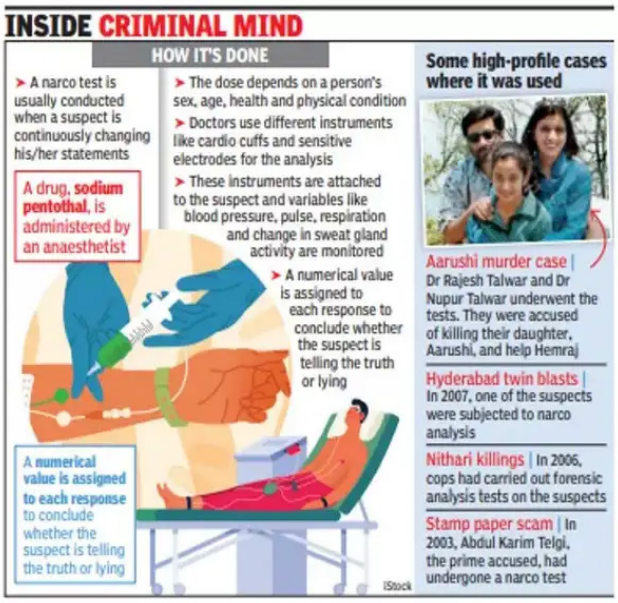

- यह माना जाता है कि **इस अवस्था में व्यक्ति की झूठ बोलने की क्षमता कम हो जाती है**, और वह **अधिक संभावना से जानकारी साझा करता है**।
- इस दवा को **"ट्रुथ सीरम" (सत्य सीरम)** भी कहा जाता है, क्योंकि **यह व्यक्ति के संकल्प को कमजोर करता है, जिससे वह झूठ बोलने में असमर्थ हो जाता है**।

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय

- **न्यायालय ने यह माना कि अनैच्छिक नार्को-विश्लेषण का उपयोग**:
  - **अनुच्छेद 20(3) का उल्लंघन करता है**: आत्म-अभियोग से सुरक्षा।
  - **अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करता है**: जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें **गोपनीयता का अधिकार** शामिल है।
- न्यायालय ने जोर दिया कि **जाँच में तकनीकी प्रगति संविधान द्वारा प्रदत्त सुरक्षा को समाप्त नहीं कर सकती**।
- पहले, **2010 में, सर्वोच्च न्यायालय ने सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य मामले** में निर्णय दिया था कि **कोई भी लाई डिटेक्टर परीक्षण आरोपी की सहमति के बिना नहीं किया जाना चाहिए**। यह **संविधान के अनुच्छेद 20(3) द्वारा प्रदत्त आत्म-अभियोग से सुरक्षा के मौलिक अधिकार** के अनुरूप था।

Source: HT

राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष लिमिटेड (NIIF)

संदर्भ

- केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री ने राष्ट्रीय निवेश और बुनियादी ढाँचा कोष लिमिटेड (NIIF) के संचालन परिषद् (GC) की छठी बैठक की अध्यक्षता नई दिल्ली में की।

NIIF के बारे में

- NIIF की स्थापना 2015 में भारत सरकार द्वारा एक संप्रभु-संबद्ध वैकल्पिक निवेश मंच के रूप में की गई थी।
- **उद्देश्य:** इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू निवेशकों से दीर्घकालिक पूँजी आकर्षित करना, जिससे भारत की बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं और अन्य उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को समर्थन मिले।
- NIIF भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) के साथ एक वैकल्पिक निवेश कोष (AIF) के रूप में पंजीकृत है।
- भारत सरकार NIIF में 49% हिस्सेदारी रखती है, जबकि शेष हिस्सेदारी अन्य संस्थागत निवेशकों के लिए खुली है।
- NIIF की संचालन परिषद् (GC) की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं।

वैकल्पिक निवेश कोष (AIFs)

- AIFs भारत में निजी रूप से संगठित निवेश वाहनों हैं, जिन्हें भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) द्वारा नियंत्रित किया जाता है।
- वे भारतीय और विदेशी उच्च क्षमता वाले निवेशकों से पूँजी एकत्रित करते हैं और निर्धारित नीति के अनुसार निवेश करते हैं।
- बैंक और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (NBFCs) प्रायः AIFs में निवेश करती हैं।

Source: AIR

एजियाओ (Ejiao)

समाचार में

- चीन में एजियाओ की माँग के कारण पाकिस्तान में गधे की कीमतें आसमान छू रही हैं।

एजियाओ के बारे में

- एजियाओ गधे की खाल को उबालकर और गाढ़ा करके बनाया गया एक जिलेटिन है।
- इसका इस्तेमाल लंबे समय से पारंपरिक चीनी चिकित्सा में थकान-रोधी, प्रतिरक्षा-बढ़ाने वाले, ट्यूमर-दमनकारी और एनीमिया-रोधी गुणों के लिए किया जाता रहा है।

Source: TH

कार्ल्सरुहे ट्रिटियम न्यूट्रिनो प्रयोग (KATRIN)

संदर्भ

- जर्मनी में कार्लस्रुहे ट्रिटियम न्यूट्रिनो प्रयोग (KATRIN) ने हाल ही में नए निष्कर्ष प्रकाशित किए, जो न्यूट्रिनो के द्रव्यमान की हमारी समझ को अधिक सटीक बनाते हैं।

निष्कर्ष के बारे में

- **2019 से 2021 तक पाँच प्रयोगात्मक चरणों में एकत्रित डेटा का विश्लेषण** किया गया।
- इस अध्ययन में **3.6 करोड़ से अधिक इलेक्ट्रॉन घटनाओं** को शामिल किया गया।
- शोधकर्ताओं ने निष्कर्ष निकाला कि **तीनों ज्ञात प्रकार के न्यूट्रिनो का कुल द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अधिकतम 8.8×10^{-7} गुना है।**

यह क्यों महत्त्वपूर्ण है?

- न्यूट्रिनो में द्रव्यमान पाया जाता है - यह एक ऐसी खोज है जिसके लिए 2015 का नोबेल पुरस्कार जीता गया था, लेकिन **भौतिकी के स्टैंडर्ड मॉडल के अनुसार इसे द्रव्यमान रहित होना चाहिए।** इसके द्रव्यमान को अधिक सटीक रूप से मापना **वर्तमान सिद्धांतों से आगे नई भौतिकी** को उजागर कर सकता है, जो **अज्ञात शक्तियों या कणों** की ओर संकेत कर सकता है।
- अन्य प्रयोगों ने **खगोलीय डेटा या दुर्लभ परमाणु क्षय का उपयोग करके इसी तरह के प्रयास किए हैं,** लेकिन वे **कुछ मान्यताओं पर निर्भर करते हैं।**
- इसके विपरीत, **KATRIN के परिणाम पूरी तरह से प्रयोगात्मक डेटा पर आधारित हैं,** जिससे यह उपलब्धि **अत्यंत दुर्लभ और सटीक** बन जाती है।
- न्यूट्रिनो एक ऐसा कण है जो पदार्थ के साथ मुश्किल से प्रतिक्रिया करता है और लगभग प्रकाश की गति से चलता है।
- इसे तौलना **अत्यंत कठिन कार्य है,** लेकिन **KATRIN की उच्च सटीकता के साथ,** वैज्ञानिक **प्रकृति की सबसे बड़ी पहेलियों को सुलझाने के करीब पहुँच रहे हैं**

Source: TH

वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद् (FSDC)

समाचार में

- वित्त मंत्री ने वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद् (FSDC) की 29वीं बैठक की अध्यक्षता की।

वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद् (FSDC)

- यह एक सर्वोच्च स्तर की गैर-वैधानिक संस्था है, जिसे दिसंबर 2010 में स्थापित किया गया था।
- इसकी अध्यक्षता भारत के केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं।
- इसमें भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के गवर्नर, वित्त सचिव, मुख्य आर्थिक सलाहकार, और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI), बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDAI), और पेंशन फंड नियामक तथा विकास प्राधिकरण (PFRDA) के प्रमुख शामिल होते हैं।
- इसका उद्देश्य वित्तीय स्थिरता, क्षेत्रीय विकास, अंतर-नियामकीय समन्वय, वित्तीय साक्षरता, समावेशन और बड़े वित्तीय संस्थानों की निगरानी से जुड़े मुद्दों को संबोधित करना है।

FSDC की उप-समिति

- मुख्य परिषद् के अतिरिक्त, एक उप-समिति भी गठित की गई है।
- इस उप-समिति की अध्यक्षता भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के गवर्नर करते हैं।
- यह वित्तीय स्थिरता और विकास से जुड़े विशिष्ट मुद्दों को हल करने में प्रमुख भूमिका निभाती है।

Source :PIB

एटालिन जलविद्त परियोजना

समाचार में

- पर्यावरण मंत्रालय की वन सलाहकार समिति (FAC) ने 3,097-MW एटालिन जलविद्युत परियोजना को सैद्धांतिक वन मंजूरी प्रदान की, जबकि पहले पर्यावरणीय चिंताओं के कारण इसे अस्वीकार कर दिया गया था।

वन सलाहकार समिति (FAC)

- यह **एक वैधानिक निकाय** है, जिसे **वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के धारा 3 के अंतर्गत स्थापित किया गया** था।

एटालिन परियोजना

- इसे **अरुणाचल प्रदेश के दिबांग घाटी में द्री नदी और तालो नदी (स्थानीय नाम: दिबांग) पर** बनाया जाना प्रस्तावित है।
- यह **भारत में सबसे बड़े प्रस्तावित जलविद्युत परियोजनाओं में से एक है**, यदि **उत्पादन क्षमता** को देखा जाए।
- यह **जिंदल पावर लिमिटेड और अरुणाचल प्रदेश हाइड्रोपावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड** के बीच एक **संयुक्त उद्यम** है।
- यह **रन-ऑफ-द-रिवर (नदी प्रवाह आधारित) प्रकार** की परियोजना होगी, जिसमें **जल भंडारण नहीं किया जाएगा।**

एटालिन जलविद्त परियोजना के प्रभाव

- इस परियोजना में **1,175 हेक्टेयर वन क्षेत्र को स्थानांतरित** करना और **लगभग 2.78 लाख पेड़ों को काटना** शामिल है।
- यह **समृद्ध जैव विविधता वाले क्षेत्र** में स्थित है, जहाँ **बाघ और हिम तेंदुए** जैसे वन्यजीव पाए जाते हैं।
- इस क्षेत्र में **भारत की कुल पक्षी प्रजातियों का 56% हिस्सा** मौजूद है, जिससे यह **एक महत्त्वपूर्ण जैव विविधता केंद्र** बनता है।
- यह परियोजना **स्थानीय इडु मिश्मी समुदाय द्वारा विरोध का सामना कर रही है**, और **पर्यावरणीय मूल्यांकन की अद्यतन कमी** को लेकर चिंताएँ बनी हुई हैं।

Source: IE